

Court of DASJ-II, Munger
SI-377 B/09 (127/20)

01.06.2026:

वाद के कुल तीन अभियुक्त ① भूटिया देवी ② चोलो देवी ③ कार कोंडा अभियुक्त हैं। अभियोजन की ओर से हाजरी हैं। वाद का प्रकार किया गया। प्रकार पर ल्यात पक्ष की ओर से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। विद्वान अपर लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित हुए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त लम्बे समय से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। अभियुक्त को उपस्थित कराने हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2019 को 82 Cr.PC तथा दिनांक 26.06.2023 को 83 Cr.PC निर्गत किया गया था। फिर भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में विदित होता है कि अभियुक्तों का निष्कट न्यायालय में उपस्थित होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः तीनों अभियुक्तों ① भूटिया देवी ② चोलो देवी ③ कार कोंडा को प्रकार ध्वोषित किया गया है। कारपीलय तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध Permanent warrant (स्थायी आधीपत्र) निर्गत करें। एवं अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें। एवं आदेश की प्रति को CIS पर Upload करें।

लेखापत्र

DASJ-II